# सार्वजनिक सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांकित 17.03.25 के अनुपालन में समिति की आख्या के अनुसार बाह्य न्यायालय देवबंद जनपद सहारनपुर में स्थित साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड/चाय कैंटीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए दिनांक 26/03/2025 की सांय 05.00 बजे तक निविदायें आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 27/03/2025 की सांय 04.30 बजे तक बाह्य न्यायालय देवबन्द के मीटिंग हॉल में खोली जायेंगी।

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं द्वारा नीलामी के नियम व शर्तों का अवलोकन बाह्य न्यायालय देवबंद के नजारत के तथा जनपद न्यायालय सहारनपुर, नजारत के बाहर लगे सूचनापट पर किया जा सकता है। नीलामी विवरण-

| क्रम सं. | प्रतिष्ठान का नाम | समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम आरक्षित बोली | ठेके की जमानत राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | चाय कैन्टीन | अंकन 75,000/- | 20,000/- |
| 2 | मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल स्टैण्ड | अंकन 2,72,000/- | 70,000/- |

दिनांक-19.03.25

श्री विनीत कुमार वासवानी
(अध्यक्ष नीलामी कमेटी)
(अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश)
बाह्य न्यायालय देवबन्द

उपनाजिर देवबंद द्वारा नीलामी सूचना विस्तृत परिचालन हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित करायी जाये और बाह्य न्यायालय देवबंद तथा जनपद न्यायालय सहारनपुर के नजारत के सूचनापट पर एवं देवबंद स्थित उपजिलाधिकारी न्यायालय तथा तहसीलदार देवबंद के कार्यालय के सूचनापट एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जाने हेतु कार्यवाही की जाये।

दिनांक-19.03.25

श्री विनीत कुमार वासवानी
(अध्यक्ष नीलामी कमेटी)
(अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश)
बाह्य न्यायालय देवबन्द

## बाह्य न्यायालय देवबन्द (सहारनपुर) के चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल/ स्कूटर/साईकिल स्टैण्ड की नीलामी वर्ष 2025-26 नियम व शर्ते

दीवानी न्यायालय परिसर बाह्य न्यायालय देवबन्द में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल स्टैण्ड) को टैण्डर के माध्यम से उठाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के सम्बन्ध में नियम एवं शर्ते निर्धारित की गयी है जिसका अनुपालन अनबन्धित निविदाकर्ताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की अनुमति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली जायेगी।

1. दिनांक 27.03.2025 तक एक मुश्त जमा की गयी ठेके की धनराशि के 25 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष धनराशि माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा किया जायेगा। किश्त का भुगतान न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

2. अनुज्ञप्ति धारक की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति धारक को करनी होगी।

3. अनुज्ञप्ति धारक को सम्पूर्ण ठेका की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि अनुज्ञप्ति की उक्त अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नही करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।

4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।

5. निविदाकर्ता (टैन्डरदाता) को निविदा खोले जाने के समय चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल स्टैण्ड के लिए अंकन 30,000 रुपये तथा मोटर साईकिल, स्कूटर, साईकिल स्टैण्ड के लिए अंकन 30,000 रुपये प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा करने होंगे तथा कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन निविदाकर्ता के नाम ठेका नहीं छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।

6. समस्त निविदाकर्ताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण नही किया जायेगा।

8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार, स्कूटर, साईकिल इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।

9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।

10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नही दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जायेगा।

11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पैट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(5)

12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।

13. ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. जिन निविदाकर्ताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन निविदाकर्ताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रूप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

15. ठेके की प्रतिमाह की देय किश्त माह की प्रत्येक 07 तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक बयाज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।

16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानो पर बीड़ी, सिगरेट, एवं गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।

17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिड़िग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था टेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब-मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन लगाने की अनुमति नही होगी।

18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।

19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगें व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगें।

20. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में डिफाल्टर नहीं है।

दीवानी न्यायालय परिसर देवबन्द में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैन्टीन,, साईकिल स्टैन्ड, ) को टैन्डर के माध्यम से उठाये जाने हेतु वितीय वर्ष-2025-2026 के सम्बन्ध में नियम एवं शर्ते निर्धारित की गयी है, जिनका अनुपालन अनुबन्धित निविदाकर्ताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिंया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

19/3/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| संजीव कुमार शर्मा | श्री नितिन सिंह, | श्री परविन्दर सिंह | श्री विनीत कुमार वासवानी |
| (सदस्य नीलामी कमेटी) | (सदस्य नीलामी कमेटी) | (सदस्य नीलामी कमेटी) | (अध्यक्ष नीलामी कमेटी) |
| (कोर्ट मैनेजर) | सिविल जज (जू.डि.) | अपर सिविल जज (सी.डि.) | (अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश) |
| सहारनपुर | बाह्य न्यायालय देवबन्द | बाह्य न्यायालय देवबन्द | बाह्य न्यायालय देवबन्द |

Approved

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR